न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—36 / 2019 (2021 / 00070) 2019 वाद पत्र

अनवान

1—मांगीलाल पिता उदा गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—केशा पिता हुक्मा गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कमला पत्नि मांगीलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गेहरीदेवी पत्नि नन्दलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—चन्द्रीदेवी पत्नि केशु गुर्जर गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नारायण पिता केशु गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—देउबाई पत्नि हरलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नोसी बाई पत्नि प्रभुलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गोपीबाई पत्नि हरलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन— अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांकः—17.08.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की साबिक कृषि आराजियात ग्राम मांसिहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बेरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 80 में अकिंत आराजी संख्या 483 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। इसी तरह ग्राम मांसिहपुरा में वादी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 258 में अकिंत साबिक आ.स. 475 / 4 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण में संवत 2047 से 2050 की साबिक जमांबदी एवं नक्शा ट्रेस की नकल वादपत्र के साथ पेश की है। उक्त वादग्रस्त आराजियात संख्या 483 पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से साबिक नक्शे के अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उसके उसके चारो और बाड़ कर रखी है तथा इसी प्रकार साबिक आ.स 475 / 4 जो सा० आ.सं. 483 के उत्तर में स्थित है पर वादी संख्या दो वक्त आवंटन से जहां उसे मौके पर कब्जा दिया गया वहां पर काबिज होकर उसका उपयोग उपयोग करता चला आ रहा है तथा वादी संख्या दो ने भी अपनी उक्त आराजी के [illegible] बाड़ कर रखी है। वादीगण की उक्त दोनो आराजियात का उत्तरी सिरा आमेट [illegible] की सीमा से लगता हुआ है। तहसील रायपुर में भूप्रबंध हुआ जिससे ग्राम मांसिहपुरा में [illegible] भूप्रबंध हुआ जिससे वादीगण की साबिक आ.स. 483 रकबा एक बीघा पांच बिस्वा के [illegible] 585 रकबा 0.2[illegible] व साबिक आ. स. 475 / 4 को नवीन नम्बर 685 रकबा 1.0[illegible] हेक्ट. कायम किए [illegible]माण में मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान जमाबंदी व नवीन नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। भूप्रबंध के दौरान भूप्रबंध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वादीगण की साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया गया परंतु वादीगण की नवीन आराजी संख्या 695 रकबा 0.27 हैक्ट को नवीन नक्शे में मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के विपरीत उत्तरी भुजा को गलत तरमीम कर दिया तथा इसी तरह वादी संख्या दो की नवीन आ.सं. 685 रकबा 1.08 हैक्ट को मौके की स्थिति के विपरीत आमेट तहसील की सीमा से दूर तरमीम कर दिया तथा बीच में बिलानाम आ.सं. 684 को दर्ज कर दिया जबकि वादी की आ. सं. 685 मौके पर आमेट तहसील की सीमा से लगती हुई है। भूप्रबंध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण की नवीन आराजी को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। जिससे उक्त त्रुटी को पुनः जरिए इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री के सही करवाया जाना न्यायोचित हो गया है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमी पर साबिक नक्शे एवं मौके पर काबिज कब्जानुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपयोग करते चले आ रहे हैं परंतु भुप्रबंध विभाग द्वारा वादीगण की उक्त आराजियात के उत्तरी एवं पश्चिमी दिशा में बिलानाम भूमी संख्या 684 को अंकित कर देने की वादीगण को जानकारी नहीं हो सकी जिसका हरलाल गुर्जर मासिंहपुरा ने नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी से मिलीभगत कर धारा 251ए राज.टी.एक्ट का प्रार्थना पेश कर वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त आ.सं. 695 व 685 की पश्चिमी उत्तरी दिशा के स्थान पर दर्ज की गई बिलानाम आ.स. 684 में सरकारी रास्ता 1748 / 684 अंकित करवा लिया जबकि आगे वादीगण की ही जमीन है व ग्राम मासिंहपुरा की सरहद समाप्त होने के पश्चात तहसील आमेट की सीमा लग जाती है उसमें भी वादीगण की भूमी है। उक्त रास्ता किसी काम का नहीं है तथा न ही उक्त रास्ते का किसी प्रकार से कोई उपयोग होता है परंतु हरलाल गुर्जर जो वादीगण से द्वैषता रखता है तथा वादीगण की भूमी के सीान पर भूप्रबंध के पश्चात बिलानाम आ.सं. 684 दर्ज कर देने से वादीगण को परेशान करने के लिए सरकारी रास्ता दर्ज करवा दिया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर बिलानाम आ.सं. 1749 / 684 व 1748 / 684 के सीान पर वादीगण की आ.सं. 695 व 685 को दर्ज कराने तथा वादीगण की आ.स. 685 के पूर्व में आ.स. 1749 / 684 व 1748 / 684 को दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान फरमाई जाए। वादीगण की आ.सं. 685 व 695 का पश्चिमी एवं उत्तरी भाग आमेट तहसील की सीमा से लगता हुआ है परंतु भूप्रबंध के पश्चात वादीगण की उक्त भूमी के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग पर बिलानाम आ.सं. 684 दर्ज कर देने तथा उसका नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के कब्जेशुदा खातेदारी भुमी में सरकारी रास्ता दर्ज कर दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर हरलाल गुर्जर आए दिन वादीगण के खिलाफ प्रतिवादी के यहां झुठी शिकायते कर परेशान करता रहता है तथा सरकारी रास्ते की आड़ में प्रतिवादी वादीगण का कब्जा हटाने पर आमादा हो रहे हैं जिससे प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित हो गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आ[illegible] डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम मासिंहपुरा में स्थित वादीगण की आ.सं. 6[illegible] साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तथा वादी संख्या दो की [illegible] स्थिति एवं साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में उत्तरी पश्चिमी भुजा [illegible] करने तथा बिलानाम रास्ते की आ.सं. 1748 / 684 व 1749 / [illegible] आ.सं. 685 के पूर्वी दिशा में दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री जारी फरमाई जाकर तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान फरमाया जाए। साथ ही बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाए कि ग्राम मासिंहपुरा की वादीगण की आ.सं. 695 व 685 जिस पर वादीगण वर्तमान में बिलानाम आ.सं. 1748 / 684 व 1749 / 684 पर काबिज है पर प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे एवं वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादीगण को बेदखल नहीं करे यदि दौराने वाद वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमी से बेदखल कर दिया जाए तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः वादीगण को प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर फौरमल पक्षकार है एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से जावाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जवाब में अंकन किया कि न्यायालय आप में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट का प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 19.05. 2018 को निर्णय जारी होकर आदेशित किया कि ग्राम मांसिहपुरा के बिलानाम आराजी संख्या 683 में से 720, 684 मे से 576 और आराजी संख्या 1683 / 712 में 224 वर्गमीटर भूमि कुल 1520 वर्गमीटर भूमि किस्म रास्ता दर्ज किया जाने एवं राजस्व रेकार्ड में इस अनुरूप अंकन करने का आदेश दिया जिसकी पालना राजस्व रेकार्ड में की गई एवं मौके पर अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर पालना हेतु राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुँचे तब इसकी जानकारी वादीगण को हुई तो आनन फानन में वादीगण ने उक्त वादपत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय पेश कर सगिन जारी करवा लिया। उक्त सगिन आदेश होने से प्रार्थीगण के पक्ष में हुए 251ए के आदेश की पालना मौके पर नही हुई। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार डीएलसी दर जमा कराई गई एवं रास्ता दर्ज हुआ लेकिन वादपत्र की आड़ में वादीगण रास्ता नही देना चाहते है। उक्त वाद पत्र में प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार है जिन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर इसी को जवाब माना जावे। इसके साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 251ए में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2018 पर्चा मौका दिनांक 18.05.2018, चालान राशि 74940 रूपये की प्रति एवं ग्राम जिलोला में अकिंत प्रतिवादी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2755 एवं 2756 के जमाबन्दी और 2954 की जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रेस पेश की गई।

प्रकरण में तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है।

1. आया वादपत्र की कॉलम नम्बर 1 में अकिंत वादीगण की साबिक खातेदारी की आराजी संख्या 483 व 475 / 4 जो साबिक आराजी संख्या 483 के उत्तर में स्थित थी जिसके नवीन नम्बर 695 रकबा 0.27 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार एवं मौका स्थिति के तरमीम नही की जिनकी इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

2. आया वादपत्र में आराजी संख्या 695 व 685 1748 / 684 एवं 1749 / 684 जिस पर वादीगण वर्तमान में काबिज है। प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे, वादीगण को बेदखल नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

3. आया ग्राम मासिंहपुरा की आराजी संख्या 683 रकबा 720 वर्गमीटर, 684 रकबा 576 वर्गमीटर, 1683/712 रकबा 224 वर्गमीटर कुल किता 3 कुल रकबा 1520 वर्गमीटर भूमि बिलानाम गे.मु. रास्ता दर्ज है जिसे खुलासा करवाने की प्रतिवादीगण अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 से 4

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुए बहस में मुख्य कथन किया कि वादीगण की साबिक आराजी संख्या 483, 475/4 जिसके नवीन नम्बर 695 एवं 684 कायम किये गये जिसको साबिक नक्शे के अनुरूप दर्ज नही कर नक्शा डिस्टर्ब किया है प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अलग से जवाब नही दिया गया और साक्ष्य नही कराई और रास्ता आमेट तहसील में दर्ज खातेदारी भूमि के लिये चाहते है। प्रतिवादी द्वारा रास्ता कायम कराने की जानकारी होते ही वादीगण ने वाद पेश कर दिया है। नक्शा दुरस्ती का प्रकरण है दावा को हमने साबित कराया दावा डिक्री फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की खातेदारी आराजी संख्या आमेट तहसील की सीमा में स्थित है किन्तु ग्राम मांसिहपुरा की सरहद से लगती हुई है जिसका नक्शा ट्रेस जवाब के साथ पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के द्वारा सरकार से बिलानाम भूमि में रास्ता लिया गया जिसकी कीमत 74940 रूपये राजकोष में जमा करा कर चालान की प्रति पेश की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 मात्र सरकार द्वारा दिये गये रास्ते में होकर अपनी खातेदारी भूमि में जाना चाहते है उसके अलावा बिलानाम भूमि पर वादीगण कब्जा भी रखे तो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को कोई आपत्ति नही है। वादीगण द्वारा साबिक आराजी संख्या 475/4 साबिक नक्शे में तरमीम होने का कोई नक्शा पेश नही किया गया है। वर्तमान मे भी वादीगण का कब्जा आमेट की सरहद से लगता हुआ नही है। जहां वादीगण का कब्जा था उस अनुसार काबिज है। इस प्रकार वादीगण का वाद रास्ते की सीमा तक खारीज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादपत्र की कॉलम नम्बर 1 में अंकित वादीगण की साबिक खातेदारी आराजी संख्या 483 व 475/4 जो साबिक आराजी संख्या 483 के उत्तर में स्थित थी जिसके नवीन नम्बर 695 रकबा 0.27 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार एवं मौका स्थिति के तरमीम नही की जिनकी इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार जिम्मे वादीगण का था। ग्राम मांसिहपुरा की साबिक आराजी संख्या 483 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होने की जमाबन्दी 2047 से 2050 की नकल जो प्रदर्श 2 है, साबिक आराजी 483 के नवीन खसरा नम्बर 695 एवं साबिक आराजी संख्या 475/4 के नवीन खसरा नम्बर 695 कायम हुए जिसके मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 3 है। साबिक आराजी संख्या 483 जो राजस्व नक्शे में दर्ज के नक्शे ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 4 है। वर्तमान आराजी संख्या 695, 685 मय अन्य आराजियात के नक्शे ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 5 है। आराजी संख्या 695 की जमाबन्दी की नकल पेश जो प्रदर्श 6 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

नवीन आराजी संख्या 685 की जमाबन्दी की नकल पेश की जो प्रदर्श 7 है। नवीन आराजी संख्या 683, 684, 686 दर्ज जमाबन्दी एवं लाल स्याही से न्यायालय आदेश से आराजी संख्या 683 एवं 684 में दिये गये रास्ते की जमाबन्दी पेश की जो प्रदर्श 8 है। एवं वादी मांगीलाल के बयान कराये गये। उपरोक्त बयान और रेकार्ड के आधार पर वादीगण की आराजी संख्या 483 आमेट की सीमा से लगती हुई होना संलग्न साबिक नक्शा प्रदर्श 4 से प्रमाणित होता है साबिक आराजी संख्या 475 / 4 रकबा 5 बीघा भूमि की तरमीमशुदा वादीगण की ओर नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नही किया जिससे साबिक आराजी संख्या 475 / 4 आमेट की सरहद से लगती हुई हो यह प्रमाणित नही होता है। उक्त तनकी का निर्णय आशिंक बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 किया जाता है।

2. आया वादपत्र में आराजी संख्या 695 व 685, 1748 / 684 एवं 1749 / 684 जिस पर वादीगण वर्तमान में काबिज है। प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे, वादीगण को बेदखल नही करे इय आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार जिम्मे वादीगण का था। वादीगण आराजी संख्या 695, 685 व 1748 / 684 एवं 1749 / 684 पर काबिज होना अकिंत किया गया है। आराजी संख्या 695 एवं 685 जो नवीन राजस्व रेकार्ड में नक्शे में अकिंत है के अनुसार वादीगण काबिज है और उक्त दोनों आराजियात का जितना रकबा वादीगण के खाते में दर्ज है उतने रकबे पर काबिज है। आराजी संख्या 1748 / 684 एवं 1749 / 684 पर कब्जा होने का कोई विधिक दस्तावेज वादीगण द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त तनकी का निर्णय आशिंक बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 किया जाता है।

3. आया ग्राम मासिंहपुरा की आराजी संख्या 683 रकबा 720 वर्गमीटर, 684 रकबा 576 वर्गमीटर, 1683 / 712 रकबा 224 वर्गमीटर कुल किता 3 कुल रकबा 1520 वर्गमीटर भूमि बिलानाम गे.मु. रास्ता दर्ज है जिसे खुला कराने का प्रतिवादीगण अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 से 4

इस तनकी को साबित कराने का भार जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का था। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से न्यायालय निर्णय दिनांक 19.05.2018 पर्चा मौका दिनांक 18.05.2018, चालान राशि 74940 रूपये की प्रति एवं ग्राम जिलोला में अकिंत प्रतिवादी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2755 एवं 2756 और 2954 की जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रेस पेश की प्रति जवाब के साथ पेश किया गया। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को आराजी संख्या 683, 684 एवं 1683 / 712 में न्यायालय द्वारा रास्ता दिये जाने के आदेश पेश किया गया है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 उक्त तनकी को साबित कराने में सफल रहे है। जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी 2 से 4 विरूद्व वादीगण किया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादीगण की साबिक आराजी संख्या 483 [illegible] की सीमा से लगती हुई है और वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 695 [illegible] पश्चिमी कोने के पास स्थित मीनारे से आमेट की सीमा से लगती हुई [illegible] पूर्व की ओर ज्यादा झुकाव देते हुए नवीन नम्बर कायम किया गया [illegible] संख्या 695 को साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज किया जाता है [illegible] 60. रकबा आराजी संख्या 1748 / 684 व 1749 / 684 का आता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 18:20:50 IST
Reason: SelfAttested

का रकबा मात्र 0.01 है0 भूमि आती है। हालांकि उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम मानते हुए न्यायालय द्वारा भूमि कीमत राजकोष में जमा कराने का निर्णय दिया गया जिसकी पालना में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा राशि जमा राई गई है आराजी संख्या 475 / 4 साबिक नक्शे में कही भी तरमीम शुदा नक्शा ट्रेस वाद में वादीगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया मौके पर भी उक्त नम्बर के नवीन खसरा नम्बर जो दर्ज किये गये है उसमें किसी प्रकार की काश्त नही हो रही है। भू प्रबन्ध के दौरान जहां पर वादीगण का कब्जा था उस अनुसार नवीन खसरा नम्बर 685 कायम किया गया जिसको पुनः नवीन नक्शे में दर्ज करने की कोई गुजाईश नही रहती है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित साबिक आराजी संख्या 483 की स्थिति अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज की जाना न्यायोचित है किन्तु इसके साथ इसी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.05.2018 से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को दिये गये रास्ते को भी बदस्तुर रखा जाना न्यायहित में है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद साबिक आराजी संख्या 483 की सीमा तक आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादवर्णित साबिक आराजी संख्या 483 के नक्शे अनुसार नवीन आराजी संख्या 695 के दक्षिणी पश्चिमी कोने के पास स्थित मीनारे से 25 मीटर उत्तर की ओर आमेट सरहद के पास प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के आवागमन हेतु रास्ते की भूमि छोड़ते हुए नवीन नक्शे में आराजी संख्या 695 की तरमीम की जावे एवं आराजी संख्या 695 का जितना रकबा आराजी संख्या 685 मे जाता है उतना रकबा आराजी संख्या 685 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। वादीगण के खाते में आराजी संख्या 695 रकबा 0.27 है0 के मुकाबले 0.26 है0 भूमि दर्ज की जावे एवं शेष 0.01 है0 भूमि जो इस न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते के रूप में दर्ज की गई है उस रास्ते को आ.स. 685 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे उत्तरी पश्चिम कोने से आगे पश्चिम की ओर आमेट सरहद की सीमा तक ले जाया जावे तथा पुनः आमेट सरहद की सीमा के सहारे सहारे दक्षिण की ओर आराजी संख्या 695 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित मिनारा तक मिलाया जावे। आराजी संख्या 695 के खातेदार की भूमि मे से रास्ते के रूप में मात्र 0.01 है0 भूमि आती है जिसकी भूमि कीमत प्रतिवादी संख्या 2 से 4 आराजी संख्या 695 के खातेदार को राशि 4930 / —रूपये का भुगतान किया जावे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.08.2021

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—36 / 2019 (~~2021~~ 2019 / 00070) वाद पत्र

अनवान

1—मांगीलाल पिता उदा गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—केशा पिता हुक्मा गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कमला पत्नि मांगीलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गेहरीदेवी पत्नि नन्दलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—चन्द्रीदेवी पत्नि केशु गुर्जर गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नारायण पिता केशु गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—देउबाई पत्नि हरलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नोसी बाई पत्नि प्रभुलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गोपीबाई पत्नि हरलाल गुर्जर निवासी मांसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद साबिक आराजी संख्या 483 की सीमा तक आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादवर्णित साबिक आराजी संख्या 483 के नक्शे अनुसार नवीन आराजी संख्या 695 के दक्षिणी पश्चिमी कोने के पास स्थित मीनारे से 25 मीटर उत्तर की ओर आमेट सरहद के पास प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के आवागमन हेतु रास्ते की भूमि छोड़ते हुए नवीन नक्शे में आराजी संख्या 695 की तरमीम की जावे एवं आराजी संख्या 695 का जितना रकबा आराजी संख्या 685 मे जाता है उतना रकबा आराजी संख्या 685 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। वादीगण के खाते में आराजी संख्या 695 रकबा 0.27 है0 के मुकाबले 0.26 है0 भूमि दर्ज की जावे एवं शेष 0.01 है0 भूमि जो इस न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते के रूप में दर्ज की गई है उस रास्ते को आ.स. 685 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे उत्तरी पश्चिम कोने से आगे पश्चिम की ओर आमेट सरहद की सीमा तक ले जाया जावे तथा पुनः आमेट सरहद की सीमा के सहारे सहारे दक्षिण की ओर आराजी संख्या 695 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित मिनारा तक मिलाया जावे। आराजी संख्या 695 के खातेदार की भूमि मे से रास्ते के रूप में मात्र 0.01 है0 भूमि आती है जिसकी भूमि कीमत प्रतिवादी संख्या 2 से 4 आराजी संख्या 695 के खातेदार को राशि 4930 / —रूपये का भुगतान किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 17.08[illegible] न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

17.8.2021
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा